रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072023-246967
CG-DL-E-03072023-246967

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2745] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 2023/आषाढ़ 10, 1945
No. 2745] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 2023/ASHADHA 10, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2023

का.आ. 2868(अ).—सुशासन के लिए आधार प्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 और रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि रेल दावा अधिकरण को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ई-रेल दावा अधिकरण प्रणाली पर मुकदमेबाज़ों अथवा आवेदनकर्ताओं अथवा दावाकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों अथवा पीड़ितों के 'जी हाँ' अथवा 'जी नहीं' अधिप्रमाणन अथवा ई-नॉ योर कस्टमर तथा रेल दावा अधिकरण के अन्य एकीकृत अनुप्रयोगों अथवा समाधानों सहित सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाती है:

(i) रेल दावा अधिकरण की इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली (ई-रेल दावा अधिकरण अथवा कोई अन्य) पर उनके दावा आवेदनों का उपयोगकर्ता रजिस्ट्रीकरण और फाइल करने के समय मुकदमेबाज़ों या आवेदनकर्ताओं या दावाकर्ताओं या प्रतिनिधियों या पीड़ितों का सत्यापन;

(ii) आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए मुकदमेबाज़ों अथवा आवेदनकर्ताओं अथवा दावाकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों अथवा पीड़ितों के आंकड़ों का सत्यापन करना और पहले ही भरना;

(iii) सभी आंकड़े जैसे व्यक्तिगत सूचना विवरण, स्थायी खाता संख्या आदि का सत्यापन करना और पहले ही भरना, और इसी प्रकार;

(iv) रेल दावा अधिकरण द्वारा दी गई राशि के संवितरण के समय आंकड़ों का सत्यापन;

2. रेल दावा अधिकरण, आधार अधिप्रमाणन के प्रयोग के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा; और

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2020/टीसी(आरसीटी)/1-13]

रत्नेश कुमार झा, कार्यपालक निदेशक (जन शिकायत)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2023

S.O. 2868(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 read with rule 5 of Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, and rule 5 of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, the Central Government, hereby notifies that the Railway Claims Tribunal is allowed to perform Aadhaar Authentication, on voluntary basis, for verification, including 'Yes' or 'No' authentication or e-Know Your Customer, of Litigants or Applicants or Claimants or Representatives or Victims on the e-Railway Claims Tribunal System and other integrated applications or solutions of Railway Claims Tribunal, for the purpose given below —

(i) verification of Litigants or Applicants or Claimants or Representatives or Victims at time of user registration and filing of their claim applications on electronic system (e-Railway Claims Tribunal or any other) of Railway Claims Tribunal;

(ii) verification and Pre-filling of the Litigants or Applicants or Claimants or Representatives or Victims data for processing applications;

(iii) verification and Pre-filling of all data like Personal information details, Permanent Account Number, and the like;

(iv) verification of data at time of disbursement of the awarded amounts by the Railway Claims Tribunal;

2. The Railway Claims Tribunal shall adhere to the guidelines laid down by the Central Government with respect to use of Aadhaar Authentication; and

3. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2020/TC(RCT)/1-13]

RATNESH KUMAR JHA, Executive Director (Public Grievances)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.07.03 18:50:58 +05'30'